न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 29/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 22.06.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/141

वादीगण :—

1. बिदामीदेवी पत्नि किशनसिंह (फौत होने से नाम हटाया गया)
2. शिवप्रसाद पुत्र किशनसिंह जी
3. शांति देवी पत्नि लक्ष्मणसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
5. रूपीदेवी पत्नि हरजीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जी
6. धन्नासिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जी जाति रावत निवासी बोरवाड तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. गुमना पुत्र तेजा के फौत के कायम मुकाम
   - 1.1 बिदामी देवी पत्नि गुमना
   - 1.2 भंवरलाल पुत्र गुमना फौत के कायम मुकाम
     - 1.2.1 कमला पत्नि भंवरलाल
     - 1.2.2 भूपैन्द्र पुत्र भंवरलाल
     - 1.2.3 टीना पुत्री भंवरलाल
   - 1.3 गणपतलाल पुत्र गुमना
   - 1.4 कन्हैयालाल पुत्र गुमना
   - 1.5 नौरतमल पुत्र गुमना
   - 1.6 पुखराज पुत्र गुमना
   - 1.7 सोहनी पुत्री गुमना (संशोधित आदेशानुसार जोडा गया)
2. पेमा पुत्र मंगला जी जाति जाट निवासी गिरी हाल मुकाम मेगडदा
3. पिस्तादेवी पत्नि हापूराम जी जाति माली निवासी गिरी
4. सन्तोष उर्फ ईग्यारसी देवी पत्नि बंशीलाल जी जाति माली निवासी गिरी
5. बिरमसिंह पुत्र हरजी सिंह
6. ललीता पुत्री लक्ष्मणसिंह जी
7. सन्तोष पुत्री लक्ष्मणसिंह जी
8. बसन्ता पुत्री लक्ष्मणसिंह जी जाति रावत निवासी बोरवाड तहसील रायपुर
9. राज्य सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय—रायपुर,

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादी
2 श्री जसवंत सिंह साखला (02) एवं शेष अनुपस्थित(1,3 से 8)

निर्णय दिनांकः 13.01.2025

वादी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर के खसरा नम्बर 553 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, आराजीयात स्थित है। उपरोंक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा।उपरोंक्त वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की शामलाती आराजीयात है, तथा उक्त आराजीयात के में वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/16—1/16 हिस्सा वं वादीगण संख्या 3 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का शामलात में 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा बनता है, तथा इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि से अलग बंट करवाना चाहते है, क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 4 वादीगण के हिस्से की भुमि मे आने जाने के रास्ते को लेकर आये दिन वाद विवाद होता रहता है, तथा रास्ते व माठ को लेकर आये दिन झगडा फसाद करते रहते है, प्रतिवादीगण संख्या में अधिक है, एवं वादीगण खाने कमाने के लिए बाहर आते जाते रहते है, इस हेतु वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे बाई मिट्स बोन्डस के बंटवारा करवाना चाहते है। वाद पत्र दर्शाये हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य मौके पर बन्टवारा हो रखा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड मे बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा नहीं हो रखा हैं, इस हेतु वादीगण मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे भी बंटवार करवाना चाहते है। इस हेतु वादीगण द्वारा दिनॉक 28/05/2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 को हिस्से अनुसार बाई मिट्स बोण्डस राजस्व रेकर्ड में बन्टवारा करवाने को कहा तब प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 स्पष्ट इन्कार कर दिया इस हेतु उक्त वाद की आवश्यकता हुई। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की शामलाती भुमि का बाई मिट्स एण्ड बोन्ड्स बन्टवारा करवाया जावें एवं वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को मौके पर हिस्से अनुसार पथ्थर गढी ,मेखम बंदी करवाई जावे तथा लगान अलग अलग खोला जावे व नक्शे मे तरमीम करवाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रथक से नाम दर्ज करवाया जावें। उक्त प्रकरण प्रतिवादी नंबर 5 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा, अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। मौजूदा वाद का कारण माननीय न्यायालय के अधिकारक्षेत्र में वाद में वर्णित दिनांक 28/05/2022 को उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता जा रहा है।डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें कि सरहद मौजा बर पटवार मण्डल बर में स्थित कृषि भमि व वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णीत आराजी कां हिस्से अनुसार बाई मिन्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा निम्न अनुसार वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा वं वादीगण संख्या 3 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का शामलात में 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा को सामलाती खाता से अलग अलग किया जावें व नामान्तरण अलग अलग भरा जाकर जमाबन्दी अलग की जावें व नक्शा ट्रेश में अलग से तरमीम की जावें व मौके पर नेखेम बंदी कर पत्थर गड्डी करवाई जावें ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलगन किया गया हैं। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 गुमनाराम के फौत होने से उनके वारिसान रेकर्ड पर लिये जावें। प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को बतौर पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं। संशोधित शीर्षक पेश हुआ हैं जो संलग्न हों। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 से 08 के सम्मन की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। प्रतिवादीगण, अवसर देनें के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं। बहस उभयपक्ष समायत की गई। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा वर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर के खसरा नम्बर 553 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी के आदेश दिनांक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

11.12.2023 को जारी किये गये। आदेश के उपरान्त तहसीलदार रायपुर के पत्रांक 318 दिनांक 15.02.2024 द्वारा पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जों पत्रावली संलग्न की गई।

लेकिन वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते रिव्यु करने प्राथमिक डिकी का पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं, इस पर उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने पर प्रार्थनापत्र वास्ते रिव्यु प्राथमिक डिकी का स्वीकार किया गया हैं, वादपत्र में अंकित प्रतिवादीगण संख्या 01 गुमना पुत्र तेजा के फौत होने पर उनके कायम मुकाम में से एक वारिसान सोहनी पुत्री गुमना (प्रतिवादीगण संख्या 1.7) का लिपिकीय भूलवश से प्राथमिक डिकी आदेश में सम्मिलित होने से रह गया, जो वादपत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः इनका नाम सम्मिलित कर पुनः प्राथमिक डिकी आदेश जारी किये गये हैं।

पुनः आदेश के उपरान्त तहसीलदार रायपुर के पत्रांक 69 दिनांक 10.01.2025 द्वारा पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जों पत्रावली संलग्न की गई।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर के खसरा नम्बर 553 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. बिदामीदेवी पत्नि किशनसिंह (फौत होने से नाम हटाया गया)
2. शिवप्रसाद पुत्र किशनसिंह जी
3. शांति देवी पत्नि लक्ष्मणसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जी
5. रूपीदेवी पत्नि हरजीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जी
6. धन्नासिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जी जाति रावत निवासी बोरवाड तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गुमना पुत्र तेजा के फौत के कायम मुकाम
   1.1 बिदामी देवी पत्नि गुमना
   1.2 भंवरलाल पुत्र गुमना फौत के कायम मुकाम
      1.2.1 कमला पत्नि भंवरलाल
      1.2.2 भूपैन्द्र पुत्र भंवरलाल
      1.2.3 टीना पुत्री भंवरलाल
   1.3 गणपतलाल पुत्र गुमना
   1.4 कन्हैयालाल पुत्र गुमना
   1.5 नौरतमल पुत्र गुमना
   1.6 पुखराज पुत्र गुमना
   1.7 सोहनी पुत्री गुमना (संशोधित आदेशानुसार जोडा गया)
2. पेमा पुत्र मंगला जी जाति जाट निवासी गिरी हाल मुकाम मेगडदा
3. पिस्तादेवी पत्नि हापूराम जी जाति माली निवासी गिरी
4. सन्तोष उर्फ ईग्यारसी देवी पत्नि बंशीलाल जी जाति माली निवासी गिरी
5. बिरमसिंह पुत्र हरजी सिंह
6. ललीता पुत्री लक्ष्मणसिंह जी
7. सन्तोष पुत्री लक्ष्मणसिंह जी
8. बसन्ता पुत्री लक्ष्मणसिंह जी जाति रावत निवासी बोरवाड तहसील रायपुर
9. राज्य सरकार बजरिये – लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय–रायपुर,

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द्र सैन वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण श्री जसवंत सिंह सांखला (2) एवं शेष अनुप्रस्थित (1, 3 से 8) मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू. अभि. नि. क्षैत्र बर के खसरा नम्बर 553 रकबा 4.3625 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताविक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुवलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक ....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)